बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

—:आदेश:—

सं०— 11/डी०—05—01/2026— 6566 /पटना, दिनांक :— 13/11/2026

विभागीय आदेश संख्या—4596 दिनांक—10.08.2026 द्वारा श्री संजय कुमार (आई०डी०—5379), सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता का कार्यालय (सिंचाई सृजन), जल संसाधन विभाग, सहरसा का योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—2, पटना के अधीन की गई पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

2. श्री कुमार अविलंब अपने मूल पदस्थापित पद पर योगदान कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

13/11/26

(सरफराज अहमद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :— 11/डी०—05—01/2026— 6566 /पटना, दिनांक :— 13/11/2026

प्रतिलिपि:— माननीय उप मुख्यमंत्री—सह—मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त सचिव (प्रबंधन सहित)/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव (प्रबंधन)/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—2, पटना/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित सहायक अभियंता (असैनिक)/प्रशाखा पदाधिकारी—10 (निजी संचिका में संधारण हेतु), 15, 20, 22, 23 एवं 24 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियन्ता आई० टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना/आई० टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना को (विभागीय/Common Integrated Website पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/11/26

अवर सचिव (प्रबंधन)।